उत्तरांचल शासन
वित्त विभाग (सामान्य लेखा)
सं0–0037/26– स.वि./कैम्प/2001
देहरादून : दिनांक 6 फरवरी 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन दिनांक 9 नवम्बर 2000 के पूर्व अवशेष भुगतान के क्रम मे उ0 प्र0 शासन के अधिकारियों से हुई वार्ता तथा अ.सा. प. स.– ए–2–III/दस– 2001 वित्त (लेखा) अनुभाग 2, लखनऊ दिनांक 30 जनवरी 2001 द्वारा निर्गत कार्यवृत के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दि0 8 नवम्बर 2000 तक के लम्बित प्रकरणों की निम्नलिखित की श्रेणी के भुगतान उल्लिखित प्रक्रिया के अधीन किया जाय।

1– सेवा निवृत लाभ (पेंशन आदि) हेतु स्वीकृति अथवा पुनरीक्षण उन्ही प्राधिकारियों द्वारा किया जाय जो अविभाजित राज्य उ0 प्र0 में दि0 8 नवम्बर 2000 तक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी घोषित थे। यह व्यवस्था दि0 30 सितम्बर 2001 तक बनायी रखी जाय। इस अवधि में समस्त लम्बित प्रकरणों का पूर्ण रूपेण निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

2– प्रस्तर 1 से संबंधित भुगतान मुख्य लेखा शीर्षक– 8793 अन्तर्राज्यीय समायोजन उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पुस्तांकित किये जायेंगे।

3– भविष्य निधि का 90 प्रतिशत भुगतान तथा शेष 10 प्रतिशत धनराशि के अन्तिम निष्कासन तथा भुगतान की कार्यवाही यथावत उन्ही प्राधिकारियों एवं महालेखाकार द्वारा दि0 30 सितम्बर, 2001 तक की जाती रहे, जैसी दि0 08 नवम्बर, 2000 तक व्यवस्था थी। इसी प्रकार की कार्यवाही कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लिए भी अपनायी जाय।

4– दि0 8 नवम्बर, 2000 तक के सेवा निवृत होने पर अवशेष अर्जित अवकास का नकदीकरण तथा गृह जनपद हेतु यात्रा भत्ता का भुगतान दि0 30 सितम्बर 2001 तक दि0 9 नवम्बर, 2000 के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाये तथा भुगतान मुख्य लेखा शीर्षक–8793 अन्तर्राज्यीय समायोजन उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया जाये जिससे महालेखाकार उ0 प्र0–उत्तरांचल द्वारा धन राशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायें।

5– दि0 8 नवम्बर, 2000 तक के सेवा निवृत पेन्शनर्स की चिकित्सा प्रतिपूर्ति उत्तरांचल राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाय। तथा मुख्य लेखा शीर्षक–8793 अन्तर्राज्यीय समायोजन, उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पुस्तांकित किया जाय जिससे महालेखाकार स्तर से धनराशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जाए।

6– दि0 8 नवम्बर, 2000 तक के दैय वेतन, भत्ते, यात्रा व्यय एवं अन्य भुगतान उत्तरांचल राज्य मे नियुक्त/कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवशेष दावे (क्लेम्स) उत्तरांचल राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाए। इस प्रकार किये गये भुगतान मुख्य लेखा शीर्षक–8973 अन्तर्राज्यीय समायोजन उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पुस्तांकित किया जाय। तथा महालेखाकार स्तर से धनराशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति की जाए।

7– सिविल जमा तथा स्थानीय निधि जमा के निजी खाते (पी0 एल0 ए0) पूर्व की भांति संचालित किये जाये। कोषागार तथा विभाग स्तर पर दि0 8 नवम्बर 2000 तक के अन्तिम अवशेष का लेखा–जोखा अलग से रखा जाए क्योंकि यह प्रकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के प्रकाश में उ0 प्र0 के बजट मैनुअल के प्रस्तर– 196 के अधीन दोनों राज्यों के आपसी करार अथवा महालेखाकार के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

8– उ0 प्र0 समेकित निधि से भिन्न वाह्य एजेंसी या व्यक्ति की जमा साख–सीमा(डी0 सी0 एल0) जो दि0 8 नवम्बर,2000 तक जमा किया गया हो (यथा केन्द्र सरकार से उपलब्ध धनराशि, टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डवलेपमेंट, सांसद निधि आदि) उसका भुगतान करते हुए कोषागार/विभाग स्तर पर अलग से लेखा–जोखा रखा जाय। क्योंकि इस प्रकरण में दोनों राज्यों के आपसी करार अथवा महालेखाकार के माध्यम से अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

9– उ0 प्र0 से जो अधिकारी/कर्मचारी उत्तरांचल का विकल्प देकर पूर्वअधिष्ठान से वेतन तथा यात्रा भत्ता का अग्रिम लेकर उत्तरांचल में कार्यभार ग्रहण किये हैं, वे उक्त धनराशि वेतन से काटकर या चालान द्वारा मुख्य लेखा शीर्षक 8793 अन्तर्राज्यीय समायोजन उ0 प्र0 पुनर्गठन के अधीन जमा करेंगे। तथा महालेखाकार स्तर पर इस धनराशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

कृ.प.उ. .....

10– शासनादेश सं0–002/कैम्प/सिवि0/बजट 2000–2001, दि0 10 नवम्बर, 2000 का प्रस्तार 12 एवं 13 उक्त सीमा तक संशोधित माना जाय।

कृपया उपरोक्त के क्रम में सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाय।

इन्द्र कुमार पाण्डे
सचिव

पृ0 पं0 स0–0037(1)/26/स0 वि0– कैम्प/2001 /तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– ए–2–III/दस –2001, दिनांक 30 जनवरी, 2001 के क्रम में ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–उत्तरांचल, 5–ए थार्नहिल रोड, " सत्यनिष्ठा भवन ", इलाहाबाद।
3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
5. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल ।
6. पुनर्गठन आयुक्त,उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
7. रैजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तरांचल, नई दिल्ली ।
8. रजिस्टार मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
9. उत्तरांचल शासन के समस्त अनुभाग ।

ह0
के0 सी0 मिश्रा
अपर सचिव